राजस्थान सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांकः प. 11(67)/शिक्षा–4/विधि/जेडी/2024 दिनांकः यथा हस्ताक्षरित

आदेश

ओ.पी.जे.एस. विश्वविद्यालय, चुरू में अनियमितताएं एवं उनकी जांच का प्रकरण लम्बे समय से प्रक्रियाधीन था। राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जाच/सत्यापन के दौरान ओ.पी.जे.एस विश्वविद्यालय, चुरू की अनेक डिग्रीयां फर्जी होने के तथ्य संज्ञान में आए। एस.ओ.जी पुलिस ने भी उक्त विश्वविद्यालय द्वारा बिना अध्यापन के कूटरचित तरीके से डिग्रीयां जारी करने के प्रकरण उजागर किए हैं तथा विभाग को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है। प्रकरण की गभीरता को दृष्टिगत रखते हुए ओपीजेएस विश्वविद्यालय, चुरू अधिनियम, 2013 की धारा 44 की उप धारा 2 एवं 3 के तहत विश्वविद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं की गहन जांच कर राज्य सरकार के स्तर से की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में स्पष्ट अनुशंषा प्रेषित करने हेतु तत्कालीन संभागीय आयुक्त, सीकर के संयोजन में जांच समिति गठित की गई।

जांच समिति ने विभाग को प्रस्तुत अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट में पाया है कि विश्वविद्यालय द्वारा ओपीजेएस विश्वविद्यालय, चुरू अधिनियम, 2013 के विभिन्न प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया अधिनियम की धारा 32 के अनुसार नहीं है। परीक्षाएं, परीक्षा परिणामों में गभीर अनियमितताएं है, जो कि अधिनियम की धारा 34 एवं 35 का उल्लंघन है। विश्वविद्यालय में कोई भी नियमित पाठ्यक्रम विधि अनुरूप संचालित नहीं है। जांच समिति ने विभिन्न अनुशंषाओं के साथ विश्वविद्यालय के समस्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की अनुशंषा की थी। जिसके क्रम में विभाग के आदेश दिनांक 21.06.2024 के द्वारा ओपीजेएस विश्वविद्यालय,चुरू में समस्त पाठ्यक्रमों में नवीन प्रवेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई थी।

प्रकरण एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 17599/2024 में राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.01.2025 की पालना में ओपीजेएस विश्वविद्यालय,चुरू को तत्कालीन संभागीय आयुक्त,सीकर की जांच रिपोर्ट की प्रति देकर विभाग द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किया गया जबाब दिनांक 27.05.2025 में परीक्षणोंपरांत पाया गया कि ओपीजेएस विश्वविद्यालय के चेयरमैन,प्रसिडेंण्ट, प्रोवोस्ट, प्रोक्टर,रजिस्ट्रार के पदों पर कार्यरत व्यक्तियों का कार्यकाल बढाने संबंधी दस्तावेज संलग्न नहीं होने, विश्वविद्यालय में नियुक्त प्रो वाइस चांसलर,रिसर्च डायरेक्टर, सहायक/सह–आचार्य के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों के नियुक्ति पत्रों पर अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं होने, डी फार्मा कोर्स के संबंध में 2021–22 के बाद की स्थिति का स्पष्ट विवरण नहीं होने, विश्वविद्यालय के स्टेट्यूस एवं ऑडिनेंस के अनुमोदन की स्थिति स्पष्ट नहीं करने, बार कौसिंल आफ इंडिया, नई दिल्ली से वर्ष सत्र 2022–2023 के बाद विधि पाठ्यक्रमों में बीसीआई से जारी की गई मान्यता से संबंधित कोई दस्तावेज संलग्न नहीं होने, वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखे पर अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं होने आदि के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया जवाब संतोषप्रद नहीं होने के कारण व एस.ओ.जी की जांच रिपोर्ट में विश्वविद्यालय द्वारा की गई गंभीर अनियमितताओं को दृष्टिगत रखते हुये छात्र हित में राज्य सरकार द्वारा गठित जांच समिति की अनुशंषानुसार एवं एस.ओ.जी पुलिस से प्राप्त जांच रिपोर्ट में विश्वविद्यालय के विरूद्ध गंभीर अनियमितताएं, कुप्रबंधन एवं कुप्रशासन की स्थिति पाये जाने के आधार पर ओपीजेएस विश्वविद्यालय,चुरू में समस्त पाठ्यक्रमों में नवीन प्रवेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(कुलदीप रांका)
अतिरिक्त मुख्य सचिव ,उच्च शिक्षा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kuldeep Ranka
Designation : Additional Chief Secretary To Government
Date: 2025.10.03 17:33:03 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 18101052
eSign 1.0

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ /आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. सचिव मा० राज्यपाल महोदय, राजस्थान राजभवन जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, उच्च शिक्षा।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा।
6. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया इसे बेबसाइट पर प्रदर्शित करवाने का श्रम करावें।
7. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
8. सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, 7 वीं मंजिल, चन्दपोल भवन, जनपथ, नई दिल्ली–110001
9. सचिव, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, कम्बाईड काउन्सिलस बिल्डिंग, कोटला रोड, एवान–ए–गालिब मार्ग, नई दिल्ली।
10. सचिव, बार कौसिंल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली।
11. चेयरपर्सन, प्रेसिडेण्ट एवं कुलसचिव, ओ.पी.जे.एस विश्वविद्यालय, चुरू को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की तत्काल पालना सुनिश्चित करें।
12. अध्यक्ष, ओ.पी.जे.एस ट्रस्ट, रोहतक, हरियाणा।
13. कुलसचिव, समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान।
14. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, सचिवालय,जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उकत निर्णय से समाचार पत्रों के माध्यम से अभिभावकों/विद्यार्थियों को सूचित कराने का श्रम करावें।
15. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ,उच्च शिक्षा

Signature Not Verified

Digitally signed by Kuldeep Ranka
Designation : Additional Chief Secretary To Government
Date: 2025.10.03 17:33:03 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 18101052

eSign 1.0